<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
परमेश्वर बनाम
लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर)
सू.अ.अपील संख्या 117/2024</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>24—09—24</td><td>अपीलार्थी परमेश्वर निवासी सरगरो का बास, ग्राम पोस्ट नांदडा कल्ला, वाया सारण नगर, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11/06/2024 में पत्र संख्या 637 और 1150/637 ग्राम धोरू में पुलिस थाना भोपालगढ़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष 145 की कार्यवाही की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदन पर की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि एवं अन्य बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर—ग्रामीण</td><td></td></tr>
</table>